

08 02
2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित।
अपील सं. 02 परीकार वरकार तहसीलदार
रावतभाटा ने प्रॉफर धारा-128 पर पत्रावली में
No-objection कर कोर आपत्ति जाहिर नहीं की।
पत्रावली वरत बहल अन्तिम दिनांक 20/02/24
को पेश है।

No objection
डा. मर्या

S.D.O.

20 02
2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित।
कमील अपील द्वारा प्रॉफर धारा-128 पर बहस
सुनई गई। उभय पक्ष को सुना गया। उभय पक्ष
की बहस परमन विचार गया। पत्रावली में शामिल
पक्षकारों व प्रॉफर में अन्तिम तर्कों का अवलोकन
कर गहनता से मजबूत किया गया। कमील अपील
द्वारा बहस के दौरान दी गई दलीलों से हम संतुष्ट
हैं। अपील का प्रॉफर धारा-128 का वकीलार मोरच
पाए जाने से वकीलार किया जाकर प्रॉफर कार्रवाई
प्रपल के लिखा जाकर खुले अध्यालय की सजाया
में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार ठीकर को
रजिस्टर कम की जाकर शामिल दाखल है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चिचोड़गढ़)